प्रश्नोतर से संबंधित परिशिष्ट

परिशिष्ट 'छियासठ'

[3/3/2016]

प्रश्न सं. [क्र. 2795]

माननीय विधायक श्री सुरेन्द्र सिंह बघेल विधानसभा 3.3.16
परि. अता. प्र. क्र. 2795

परिशिष्ट

प्रपत्र अ

कार्या. अधीक्षण अभियन्ता (संचा/संधा) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि. रीवा

क्रमांक-053-10/04/शिका/3695 रीवा, दिनांक 20.02.16

प्रति,

अध्यक्ष
विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
जबलपुर

विषय:- **प्रकरण क्र. 607/2010 आदेश दिनांक 31.12.10 – पालन प्रतिवेदन।**

विषयान्तर्गत प्रकरण क्रमांक 607/2010 श्री हरिलाल प्रसाद कुशवाहा ग्राम मुड़रिया चौबान तहसील मऊगंज जिला रीवा के प्रकरण में आदेश दिनांक 31.12.10 में निर्देशित किया गया था कि प्रतिवादी क्रमांक 01 अधीक्षण यंत्री पंचनामा, निरीक्षण रिपोर्ट एवं बिलिंग का सूक्ष्म अध्ययन करके आवश्यक कार्यवाही करें, परिवाद पत्र एवं संलग्न दस्तावेज यथा-बिल संयोजन क्रमांक 70-28-32335 आवेदन दिनांक 24.10.07 एवं शपथ पत्र इत्यादि का अध्ययन करते हुए प्रकरण का निराकरण करें। प्रतिवादी प्रकरण में पालन प्रतिवेदन दिनांक 25.01.11 तक प्रस्तुत करें ताकि प्रकरण समाप्त किया जा सके।

विषयान्तर्गत प्रकरण में अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा तात्कालीन सहायक यंत्री मऊगंज श्री एस. के. त्रिपाठी जो कि वर्तमान में कार्यपालन अभियंता मऊगंज के पद पर पदस्थ है, से प्रकरण पर विस्तृत चर्चा की गई। कार्यपालन अभियंता मऊगंज द्वारा पत्र क्र. 4395 दिनांक 19.02.16 द्वारा तात्कालिक परिस्थितियों से अवगत कराया गया है (पत्र की प्रतिलिपि संलग्न)। अधोहस्ताक्षरकर्ता द्वारा प्रकरण क्रमांक 607/2010 में संलग्न आवेदन, शपथ पत्र इत्यादि का सूक्ष्म अध्ययन किया गया तथा इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि श्री एस.के. त्रिपाठी तात्कालीन सहायक यंत्री मऊगंज द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन एवं तात्कालिक परिस्थितियों के अनुसार उपभोक्ता द्वारा बिजली का उपयोग किया जाता रहा है। अतः उनका देयक समाप्त किया जाना उचित नहीं है अपितु बिल पुनरीक्षण किया जा सकता है। तदनुसार उपभोक्ता का बिल पुनरीक्षित कर दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। उपभोक्ता को रू. 20730/- जमा करने हेतु शेष हैं, उपभोक्ता का विद्युत कनेक्शन जुलाई 2015 में स्थाई रूप से विच्छेदित किया जा चुका है।

संलग्न :- उपरोक्तानुसार।

अधीक्षण अभियन्ता (सं/सं)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.रीवा

मूल प्रति में नहीं

क्रमांक-053-10/04/शिका/3696 रीवा, दिनांक 20.02.16

प्रतिलिपि :-

कार्यपालन अभियंता (संचा/संधा) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.मऊगंज।

अधीक्षण अभियन्ता (सं/सं)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.रीवा

सत्यापित

(कार्य)
...लि.

C:/Vidhansabha/Bug 2016/Shibilash

कार्यालय कार्यपालन अभियन्ता (सं/सं) म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि. मऊगंज

क्रमांक/ ... /4792 मऊगंज, दिनांक [illegible]

प्रति

विधानसभा अतारांकित प्र.क्र. 2795

अधीक्षण अभियंता (संचा./संधा)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.रीवा

विषयः— प्रकरण का निराकरण—प्रश्नकर्ता श्री सुखेन्द्र सिंह।

उत्तर क — वादी का नाम श्री हरिलाल कुशवाहा ग्राम मुदरिया है।

उत्तर ख — जी हां।

उत्तर ग — मैं एस.के. त्रिपाठी तात्कालीन सहायक यंत्री मऊगंज के रूप में पदस्थ था और मेरे द्वारा दिनांक 30.07.10 को भ्रमण के दौरान उपभोक्ता श्री हरिलाल कुशवाहा पिता श्री मुड़ी कुशवाहा ग्राम मुदरिया चौबान के सर्विस कनेक्शन क्रमांक 32335 में बिजली का उपयोग किया जाना पाया गया था। चूंकि सामान्य निरीक्षण था, अतः पृथक से निरीक्षण प्रपत्र अथवा पंचनामा नहीं बनाया गया था। उपभोक्ता द्वारा कहा जाना कि मैं जिस मकान में कनेक्शन था उस मकान को छोड़कर गांव में दूसरी जगह मकान बनाकर रहने लगा था, पूर्णतः गलत है। क्योंकि उपभोक्ता उसी स्थान पर उसी निम्नदाब लाइन के खम्भे के सामने ही निरंतर निवास कर रहा है, हां यह अवश्य है कि पुराने मकान को गिराकर उसी स्थान पर नया मकान बनाकर उसी खम्भे से बिजली का उपयोग करता रहा है। मेरे द्वारा दिनांक 30.07.10 को किये गये भ्रमण के पश्चात उपभोक्ता द्वारा रु. 10000 दि. 07.08.10 को जमा किये थे। इसके पश्चात दिनांक 10.11.10 को पुनः बकाया राशि वसूली के दौरान उपभोक्ता द्वारा लिखित में सहमति भी दी गई थी कि मैं रु. 10000 दिनांक 07.08.10 को जमा कर चुका हूँ, शेष राशि किस्तों में जमा करूंगा क्योंकि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है। यदि उपभोक्ता बिजली का उपयोग न करता होता और पूर्व में कनेक्शन कटवाने तथा बिजली का उपयोग न करने के कारण बिल समाप्त कराने हेतु दिनांक 24.10.07 को शपथ पत्र एवं आवेदन कार्यालय में दिया होता तो उपभोक्ता रु. 10000 क्यों जमा करता तथा शेष राशि किस्तों में जमा करने की सहमति क्यों देता? उपभोक्ता द्वारा उपलब्ध रिकार्ड के अनुसार अक्टूबर 2004 से जून 2015 तक कभी भी बिजली बिलों का भुगतान नहीं किया गया, मात्र रु. 10000 राजस्व वसूली के दौरान दिनांक 07.08.10 को जमा किये हैं तथा इसके पश्चात भी उपभोक्ता द्वारा बिल की राशि जमा नहीं की गयी और राशि जमा न करना पड़े इससे बचने के लिए उपभोक्ता द्वारा विद्युत शिकायत निवारण फोरम जबलपुर में शिकायत की गई कि मैं बिजली का उपयोग नहीं कर रहा हूं अतः बिल की राशि माफ कराई जावे, जो पूर्णतः गलत है।

चूंकि उपभोक्ता द्वारा बिजली का उपयोग किया जाता रहा था, अतः बिल माफी योग्य नहीं है। अपितु अनमीटर्ड कनेक्शन हेतु टैरिफ मिनिमम के अनुसार बिल संशोधित कर दिया गया है। पूर्व में उपभोक्ता के विरुद्ध रु. 60000 की बकाया राशि थी, बिल पुनरीक्षण के पश्चात बकाया राशि 20730 रुपये वसूली योग्य शेष है। पुनरीक्षित बिलिंग का विवरण संलग्न है।

संलग्न :— उपरोक्तानुसार।

कार्यपालन अभियन्ता (सं/सं)
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क.लि.मऊगंज

C:\Vidhansabha\Bug3\[illegible]

(यह बिल केवल सामान्य खपत के लिए है – पेनाल्टी/सतर्कता इकाई से संबंधित वसूली हेतु पृथक फार्म निर्धारित है)

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड : विद्युत देयक

विद्युत प्रदाय एवं बिल संबंधी शिकायत/जानकारी के लिये उपभोक्ता सेवा केन्द्र के (निःशुल्क) दूरभाष क्र. १९१२ पर २४ घण्टे संपर्क किया जा सकता है।

आई वी आर एस क्रमांक
संभाग का नाम :
सर्विस क्रमांक : 70-33-32335

बिल क्रमांक तथा दिनांक :
श्री/सुश्री : श्री हरिलाल कुशवाहा
पता : S/o श्री मूड़ी कुशवाहा
कुदरिया चैकान

पोल क्रमांक :
मीटर क्रमांक/प्रदाय फेज :
स्वीकृत / अधिकृत भार :
रीडिंग प्रकार :
संविदा माँग / अधिकतम माँग : 240 वाट
टी ओ डी खपत :
वितरण केन्द्र :
नाम/पता/दूरभाष क्र.

शिकायत हेतु संपर्क :

मीटर रीडर :
सप्लाई के घण्टे (औसतन दैनिक विद्युत प्रदाय) :
प्रयोजन :
बिल आधार :
सुरक्षा निधि जो जमा है :
सुरक्षा निधि जो लेना है :
विगत माह प्राप्त भुगतान का ब्यौरा :
विगत माहों में खपत का ब्यौरा
वाचन माह, वाचन की तिथि
वाचन (रीडिंग) तथा खपत

पुराना सर्विस क्रमांक :
टैरिफ श्रेणी / बिल माह : पुनः मिलिंग
खपत (यूनिट्स) :
विशिष्ट भाग : June 2015
नियत तिथि तक देय राशि रुपयों में
भुगतान की अंतिम तिथि
चैक हेतु :
नगद हेतु :
वर्तमान रीडिंग तथा दिनांक :
पिछली रीडिंग तथा गुणांक : M/S/P
पावर फैक्टर :
मीटर खपत तथा आंकलित खपत :
कुल खपत :

	राशि गणना विवरण	रुपये / पैसे
	ऊर्जा प्रभार / नियत प्रभार / फ्यूल कॉस्ट समायोजन (FCA) — पूर्व में पुनः मिलिंग अनुसार	60,000-00
	विद्युत शुल्क (ड्यूटी) / [illegible] / मीटरिंग प्रभार / [illegible] (ECB/ED) — पुनः मिलिंग के अनुसार	30,730-00
	शामिल सुरक्षा निधि किस्त : / [illegible] / [illegible] — उपभोक्ता द्वारा जमा राशि ... 7/8/10	10,000-00
	अन्य प्रभार	
	[illegible] / [illegible] / लोड फैक्टर रियायत / लॉक क्रेडिट / सब्सिडी :	20,730-00
	वर्तमान देयक राशि	20730-00
	पिछला बकाया / अधिभार अवशेष	
	नियत तिथि तक कुल देयक राशि	
	नियत तिथि विलम्ब भुगतान अधिभार	
	अधिभार सहित सकल देय राशि	

सही/-
कनिष्ठ यंत्री
म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.कं.लि.
[illegible] (I)

वर्तमान बिल का दैनिक औसत है : रु.
औसत दैनिक खपत यूनिट्स में

उपभोक्ताओं के लिए सुविधाएं – [illegible] 1912 अथवा 1800-233-1266 पर [illegible] शिकायत फेसबुक / ट्विटर पर mpeastdiscom को अथवा ई-मेल आई डी mpeastdiscom@mpez.co.in [illegible]

मूल- चुक लेनी देनी | कार्यपालन यंत्री

भुगतान राशि रसीद
मुहर सहित

कार्यपालन यंत्री
कार्यालय- संचा./सं. संभाग [illegible]
म. प्र. पूर्व क्षे. वि. वि. कं. लि. [illegible]

YOU DECIDE...

If you believe, achieving your goals is the true measure of your potential and have the will to go beyond your limits in the quest of glory, COME JOIN US. After all, you are what you choose to be!!! Inviting applications for multi-level opportunities from fresher to professionals in Media, Entertainment & Market Research. For further details, visit: www.my-india.org / www.axisapm.com or Email: career@axisapm.com Candidates ranking among top ten throughout academic career will be preferred.

MY INDIA
Connecting India to Build India

axis Ad-Print-Media (I) Ltd.
For Advt.: Email: sales@axisapm.com

मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड : विद्युत देयक : आपत्ता

सर्विस क्रमांक : बिल क्रमांक व बिल दिनांक : बिल माह : श्री/सुश्री : भुगतान की अंतिम तिथि चैक / नगद हेतु नियत तिथि तक कुल देयक राशि : अधिभार व सकल देयक राशि :	70-33-32335 श्री हरिलाल कुशवाहा S/o श्री मूड़ी कुशवाहा 20730-00	भुगतान राशि रसीद मुहर सहित